

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District:** STATE VIG. BUREAU PS: SVB Hisar **Year:** 2013 **FIR No:** 36 **Date:** 04-9-13

2. **Act(s):** **Section(s)**
(i) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 7
(ii)
(iii)
(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day:** Wednesday **Date From:** 04-9-13 **Date To:** : 04-9-13
Time Period: **Time From:** **Time To:** 13.20
(b) **Information received at P.S:** **Date:** : 04-9-13 **Time:** 13.20
(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 08 **Time:**

4. **Type of Information:** WRITTEN

5. **Place of Occurrence:**

(a) **Direction and Distance from P.S.:** South 5KM **Beat No.:** 1
(b) **Address:** Distt. Hisar
(c) **In case, Outside the limit of the Police Station:**
Name of P.S: **District:**

6. **Complainant/Informant:**

(a) **Name:** . Kulbhushan Agnihotri S/o Manohar Lal
(b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN
(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**
(d) **Occupation:**
(e) **Address:** Patali Dabar Ding Road Sirsa
(f)
(g) **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

7. Shayam Lal Clerk Water Pump Opreator CCSHAU HSR

8. **Reason for delay in reporting by the complainant/informant:**

9. **Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):**

SI.No.	Property Type (Description)	Est. Value (Rs.)	Status
(i)			
(ii)			
(iii)			

10. **Total value of property stolen:**

11. Inquest Report/U.D Case No., if any
12. F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):

श्रीमान जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 13 दिनांक 17.12.12 हिसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 66/120/12-3 चौ०ii दिनांक 12.12.12 वा डी०जी०एस०वी०बी० हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 17098/i-3एस.वी.बी.एस. दिनांक 17.12.12 के अनुसार दर्ज की जाकर पडताल हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुई जिसमे आरोप था कि परिवादी कुलभुषण परोपराईटर मै० अग्निहोत्री इन्फ्राकटचर कम्पनी डीगंरोड सिरसा ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्व विधालय हिसार मे साल 2011 मे ईन्टरनैशनल गर्ल्ज होस्टल तैयार करने का ठेका 1 करोड 80 लाख रुपये मे लिया था जिसने आरोप लगाया कि अभयराम सैनी ऐक्सीयन, पवन कुमार जुनेजा एस.डी.ई., जसवतं सिंह लाम्बा जै०ई० वा श्याम लाल कर्लक ने उस द्वारा करवाये गये कार्य के बदले रिश्वत कि मांग की । उक्त आरोप की जांच पुलिस अधीक्षक राज्य चौक्सी ब्यूरो (ह) हिसार द्वारा निरीक्षक ज्ञान सिंह को दी गई जांच के दौरान पाया गया कि उक्त. फर्म को पत्र क्रमांक 684/356-65 दिनांक 12.01.11 द्वारा बिल्डिंग बनाने का कार्य अलोट किया गया था जो यह कार्य एक साल मे पुरा किया जाना था कार्य समय पर पुरा ना होने के कारण उक्त कार्य का समय छः महीने का अतिरिक्त कार्य पुरा करने के लिये क्रमांक न० 684/2819-20 दिनांक 18.04.12 अनुसार दिनांक 30.06.12 तक कार्य पुरा करने का समय दिया गया था । उक्त फर्म द्वारा जो अधुरा काम किया गया था उसकी अदायगी चैको द्वारा कर दी गई । उक्त फर्म ने दिनांक 11.05.12 को कार्य अधुरा छोड दिया । चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्व विधालय हिसार द्वारा उक्त फर्म को अन्तिम चैक 05.05.12 को दिया गया और मौके पर जो सामान यानी खिडकी दरवाजे रखे थे वह सामान उक्त फर्म ने बिना चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्व विधालय हिसार की ईजाजत से उठा लिये जिस पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्व विधालय हिसार उक्त फर्म के खिलाफ उचित माध्यम द्वारा सिविल लाईन हिसार मे मुकदमा न० 744 दिनांक 25.10.12 जैर धारा 380/506 आई.पी.सी. दर्ज कराया जो विचाराधीन अदालत हिसार है । उक्त फर्म ने भी अभय राम सैनी ऐक्सीयन ,पवन कुमार जुनेजा ,एस.डी.ई. जसवतं सिंह लाम्बा जै०ई० वा सतबीर सिंह सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ अदालत हिसार मे जैरधारा 500/120 बी के तहत ईस्तगासा दायर कर रखा है जो न्यायलय मे विचाराधीन है मे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्व विधालय हिसार उक्त कार्य को पुरा करने के लिए तमाम फोरमैलिट पुरी करने के पश्चात यह ठेका मुबलिक 1 करोड 5 लाख रुपये रिशक एण्ड कोस्ट के अधार पर मै० सुरदेव सिंह एण्ड कम्पनी हिसार को दे दिया जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 19.5.12 को कुलभुषण परोपराटर मै० अग्निहोत्री इन्फ्राकटचर कम्पनी डीगंरोड सिरसा ने अपनी बकाया अदायगी 2 लाख 18 हजार रुपये लेने के लिए श्याम लाल कर्लक वा मनु प्रिन्स जै०ई०चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्व विधालय हिसार से मोबाईल फोन द्वारा बात की तथा की गई बातचीत को रिकार्ड किया गया तथा रिकार्ड की गई बातचीत का अनुवाद करवाया गया जिसमे पाया गया कि श्याम लाल ने परिवादी कुलभुषण से बिलो के भुगतान के बदले मे 12100 रुपये की

रिश्वत की मांग करनी पाई गई तथा जे०ई० के साथ भी बातचीत मे किसी भी प्रकार की बात सामने नही आई ना ही अन्य किसी के खिलाफ कोई आरोप साबित होना पाया गया है । उपरोक्त आरोप की जांच मुकमल करके दिनांक 18.6.13 को महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा के पत्र क्रमांक 9302 एस.वी.बी. के अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई थी जो अब उपरोक्त जांच मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 66/120/12-3 चौ-2 दिनांक 6.8.13 वा महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा के पत्र क्रमांक 20713/1-3/एस.वी.बी. दिनांक 14.8.13 के अनुसार श्याम लाल कर्लक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्व विधालय हिसार के खिलाफ मुकदमा जैरधारा 7 पी.सी. एक्ट के तहत दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुये है जो अन्तिम रिपोर्ट के अनुसार जांच न० 13/12 हिसार पर श्याम लाल लिपिक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्व विधालय हिसार के खिलाफ मुकदमा हजा जैरधारा 7,49,88 पी.सी. एक्ट दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर मुकदमा हजा मय आमदा रिकार्ड आगामी तफतीश के लिये हस्ब आदेश एस.पी. साहब रा.चौ.ब्यूरो हिसार हवाले श्री फुल सिंह उप पुलिस अधीक्षक की जा रही है मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट बदस्त ई.एस.आई. सुरेन्द्र सिंह 1370/ हिसार निज्द ईलाका मैजिस्ट्रेट वा अफसरान बाला को भेजी जा रही है ।एस.डी. हिन्दी ज्ञान सिंह निरीक्षक रा.चौ.ब्यूरो (ह) हिसार।

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2:

- (i) Registered the case and took up the investigation
(ii) Directed (Name of the I.O.): Phool Singh

OR

No.: DSPSVBHSR

Rank: Inspector
to take up the investigation, OR

- (iii) Refused investigation due to:

OR

- (iv) Transferred to P.S.(name):
On point of jurisdiction:

District:

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.

Signature/Thumb Impression
Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name Gian Singh
Rank Inspector. HAP/25

15 Date and Time of dispatch to the court: